राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(54)ग्रावि / नरेगा / अपूर्ण कार्य / 2013 / जयपुर, दिनांक 31 DEC 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
जिला समस्त राज0।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने बाबत।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांकः एफ 40(17)ग्रावि / नरेगा / तक.मीटिंग / 2010 दि0 01.12.11 एवं समसंख्यक पत्र दि0 14.10.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा में अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने के संबंध में प्रासंगिक दिशा निर्देशों पर कार्यवाही की जानी है। जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक की जाने वाली कार्यवाही प्रक्रिया प्रारुप तैयार कर भिजवाया जा रहा है। उक्तानुसार बिन्दुवार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. **वर्षवार, पंचायतवार स्वीकृत कार्यों की सूची तैयार करनाः–** योजना आरम्भ से आदिनांक तक स्वीकृत कार्यों का विवरण संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों के पास संकलित नहीं होना सम्भावित है। अतः जिला स्तर से एमआईएस पर प्रदर्शित कार्यों की सूची संलग्न प्रारुप में वर्षवार, पंचायतवार एवं एजेन्सीवार उपलब्ध कराई जावे। परिशिष्ट 1 के कॉलम संख्या 1 से 7 तक की पूर्ति का प्रमाणीकरण एमआईएस मैनेजर, सहायक अथवा अधिषाशी अभियन्ता जिला परिषद द्वारा की जावे।
2. परिशिष्ट 1 में संकलित बिन्दुओं को संबंधित द्वारा प्रमाणित किया जावे। कार्य की भौतिक स्थिति अभियंताओं द्वारा, कार्य पर व्यय एवं बकाया भुगतान लेखा कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया जावे। कार्य की सम्पूर्ण स्थिति का प्रमाणीकरण ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित किया जावेगा।
3. कार्य पूर्ण होने पर बकाया बिल वाउचर्स के भुगतान की कार्यवाही लेखा सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की जावें। पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा जारी किया जावें। भुगतान एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् ही कार्यों को एमआईएस मैनेजर द्वारा नरेगा साफ्ट पर दर्शाया जावे। उक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित द्वारा कॉलम सख्या 11 से 15 का प्रमाणीकरण किया जावे।
4. योजना में पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र का प्रारम्भिक भाग संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा भरा जावेगा एवं उक्तानुसार संबंधित अभियंता द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
5. योजना में स्वीकृत ऐसे कार्य जिन पर स्वीकृत राशि व्यय हो चुकी है, स्वीकृति अनुसार कार्य सम्पादित हो चुका है, तो ऐसे कार्यों को पूर्ण मानकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावे। इन कार्यो में मौके की आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कार्य करवाए जाना है,तो उस कराने हेतु नवीन स्वीकृति जारी कर, कार्य सम्पादित किया जावे।

6. योजना के अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानानुसार 40 प्रतिशत से अधिक सामग्री की आवश्यकता होने की स्थिति में अन्य विभागीय मदों की राशि डवटेल/कन्वर्जेन्स कर स्वीकृति जारी की जावे।

7. योजना में स्वीकृत एक ही कार्य को अलग अलग वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार एमआईएस पर सहवन से इन्द्राज किया हुआ है। नरेगा साफ्ट पर इस प्रकार के इन्द्राज से अपूर्ण कार्यों की संख्या अधिक प्रदर्शित है, ऐसे कार्य डुप्लीकेट श्रेणी में आते है। इन कार्यों की विवेचना कर, डुप्लीकेट इन्द्राज किये गये कार्यों को मर्ज करते हुए एक ही कार्य एमआईएस पर रखा जावे। **नरेगा साफ्ट पर कार्यों को मर्ज करने का आप्शन उपलब्ध है।**

8. स्वीकृत कार्य अपूर्ण हैं, पर सम्पादित कार्य उपयोगी हैं, तथा आगे कार्य कराना आवश्यक नहीं है अथवा संभव नहीं है, तो ऐसे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण मानकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावे।

9. योजना में स्वीकृत कार्य वर्तमान में अपूर्ण है और Safe Stage में है, तो ऐसे कार्यों की मूल्यांकित राशि के अनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे। मूल्यांकित राशि अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर एमआईएस पर दर्ज किया जावे।

10. योजना में स्वीकृत जिन अपूर्ण कार्यों को संशोधित स्वीकृति जारी कर पूर्ण कराना हैं, ऐसे कार्य आलौच्य वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकता से शामिल किये जावें।

11. पूर्व वर्षों में स्वीकृत ऐसे कार्य जो पूर्ण रुप से श्रम आधारित हैं तथा जिन पर विगत 2 वर्षो से श्रम नियोजन नहीं हुआ है, ऐसे कार्यो को अब तक हुए व्यय का मूल्याकंन कर, मूल्यांकित राशि अनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के एवं समस्त भुगतान करने के उपरान्त नरेगा साफ्ट पर इन्द्राज कर, पूर्ण दर्शाया जावे।

12. योजना में एक ही कार्य को एक से अधिक बार अलग-अलग वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने की भी स्थितियॉ हैं। स्वीकृति अनुसार कार्य अभी भी प्रगति पर है। ऐसे पूर्व वर्षो में कार्य पर हुए व्यय के अनुसार मूल्याकंन कर, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावे। इन कार्यों पर अब श्रम नियोजन नहीं किया जावे। यदि एक ही कार्य की एक से अधिक स्वीकृतियॉ हैं तथा कार्य पर श्रम नियोजन किया जाना आवश्यक है, तो अंतिम जारी स्वीकृति पर ही मस्टररोल जारी की जाकर कार्य पूर्ण कराया जावे। उसके पूर्व में जारी समस्त स्वीकृतियों पर श्रम नियोजन प्रतिबंधित कर, कार्य को पूर्ण दर्शाया जावे।

13. **योजना में अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु निम्नानुसार कलेण्डर निर्धारित किया जाता है :-**

प्रकिया का विवरण	समयावधि	उत्तरदायित्व
जिला स्तर से परिशिष्ठ -1 में सूची उपलब्ध कराना	15.01.2015	अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस जि0प0
पंचायत समिति, ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ठ -1 की सूची में कार्यो का प्रमाणीकरण कर जिला परिषद को प्रस्तुत करना	31.01.2015	कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति
अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु स्वीकृति आदि जारी करने की कार्यवाही	15.02.2015	अधिशाषी अभियंता एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
वर्ष 2012-13 तक के कार्यों को पूर्ण कराना	31.03.2015	संबंधित कार्यकारी संस्था

गत वर्षों के स्वीकृत कार्यो पर बकाया श्रम, सामग्री एवं अन्य बिल वाउचर्स का भुगतान	15.04.2015	कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति
पूर्ण कार्यो के समायोजन। अधिक व्यय की वसूली आदि कार्यवाही	15.04.2015	लेखा सहायक, सहायक लेखाधिकारी / पी. ओ. (लेखा)
पूर्ण कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना	15.04.2015	संबंधित अभियंता
योजना आरम्भ से 31.03.2013 तक के स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराकर, एमआईएस पर इन्द्राज	30.04.2015	एमआईएस मैनेजर

14. विकास अधिकारी (साप्ताहिक), अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (पाक्षिक) एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मासिक) समीक्षा करेंगे। जिला एमआईएस मैनेजर उक्तानुसार पाक्षिक रिपोर्ट माह की 15 व 1 तारीख को जरिये मेल semgnrega@gmail.com पर संलग्न (परिशिष्ठ–2) में प्रेषित कर, श्री अरविंद सक्सैना, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस मो.न. 9414238443 को अवगत करावें।
15. उक्त निर्देशो की समयबध्य पालना की जावे। उदासीनता का गम्भीरता से लिया जावेगा।

भवदीय,
22/12/14

(राजीव सिंह ठाकुर)
आयुक्त, ईजीएस एवं शासन सचिव, ग्रावि

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. समस्त जिला प्रभारी राज्य मुख्यालय, ग्रा0वि एवं प0रा0वि को जिला भ्रमण के दौरान अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा करने का कष्ट करें।
2. राज्य महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय, समस्त अधिकारियों जिले की विस्तृत समीक्षा हेतु अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि0प0 समस्त राज0।
3. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
4. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि0 प0 समस्त राज0।
5. श्री अरविंद सक्सैना, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस मुख्यालय।
6. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राज0।
7. सहायक अभियंता, ईजीएस, पंचायत समिति, समस्त राज0।
8. रिंकू छीपा, एमआईएस मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

31/12/14.

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ईजीएस

परिशिष्ट–1

ग्राम पंचायत / कार्यकारी विभाग...वर्ष..........................

(राशि लाखों में)

क. सं.	कार्य का नाम मय ग्राम	यूनिक कोड	स्वी0 क0 / दि0	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			बकाया भुगतान	कार्य की भौतिक स्थिति	पूर्ण करने हेतु आवश्यक राशि	यूसी / सीसी स्थिति	एमआईएस इन्द्राज स्थिति	विशेष विवरण
				श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

ग्राम रोजगार सहायक	ग्राम सेवक	लेखा सहायक	एमआईएस मैनेजर	क0 तक0 सहा0 / क0 अभि0
ग्रा.पं............................	ग्रा.पं......................	ग्रा.पं.............................	पं.स...........................	ग्रा.पं. / पं.स..............................

- क्रम संख्या 1 से 7 की सूचनाओं का प्रमाणीकरण जिला स्तर से एमआईएस मैनेजर,सहायक अथवा अधिषाशी अभियन्ता द्वारा किया जावे।

* स्वीकृति एवं उपयोगिता अनुसार पूर्ण / अपूर्ण (जिसे पूर्ण कराना आवश्यक है) / अपूर्ण, वर्तमान में बंद, वर्तमान स्थिति में पूर्ण माना जा सकता है / विवादित / अप्रारम्भ – जो भी स्थिति हो अंकित की जावे।

योजना आरम्भ से वर्ष 2012–13 तक स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराने हेतु समीक्षा प्रपत्र (परिशिष्ठ –2)

परिशिष्ट–2

जिले का नाम ....

क.स	पंचायत समिति	वर्ष 2012–13 तक के अपूर्ण कार्यो की संख्या , जिनकी सूची पं. स/ग्रा.प को उपलबध कराई गई है	ग्रा.प/ कार्यकारी संस्थाओं की स ख्या जिनमें परि–1 में सत्यापन पश्चात सूची प्राप्त हुई	पूर्ण कार्यो की संख्या जिनके सीसी जारी हो चुकी है तथा एमआईएस पर पूर्ण दर्शाया जाना है	कार्यो की संख्या						अन्य कारण
					जिनके पूर्णता प्रमाण जारी होने है	जिनकी संशोधित स्वीकृति जारी होनी है	वर्तमान में प्रगतिरत	मर्ज किये जाने है	एमआईएस पर रिपिटेड एन्ट्री है	भुगतान बकाया होने के कारण एमआईएस पर पूर्ण दर्शाया जाना शेष	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	